तारीख हुक्म	**न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बून्दी** **प्रकरण संख्या–544/2024** **बउनवान् दीमाला बनाम उमाशंकर**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.04.2026	प्रार्थिया अधिवक्त उपस्थित। अप्राथी अधिवक्ता उपस्थित। बहस बाबत् अंतरिम भरण–पोषण सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थिया का तर्क रहा कि प्रार्थिया का विवाह दिनांक 07.05.2021 को अप्रार्थी उमाशंकर के साथ सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिया को विवाह में उसके माता–पिता ने घर गृहस्थी का सामान व सोने चांदी के जेवर दिए थे। विवाह के बाद जब प्रार्थिया अपने ससुराल गई तो अप्रार्थी, ससुर राजूलाल, सास बसंती बाई, देवर जितेन्द्र, देवरानी लक्ष्मीबाई ने प्रार्थिया से 50,000/–रूपए की मांग की और कहा कि शादी लॉकडाउन में हुई थी और उनके मेहमानों की कोई व्यवस्था नहीं हुई। यह बात प्रार्थिया ने अपने पिता को बताई, जिस पर प्रार्थिया के पिता ने किसी से उधार लेकर अप्रार्थी व उसके परिवारजन को रूपए दिए। उसके पश्चात् एक महिने बाद फिर से अप्रार्थी व उसके परिवारजन प्रार्थिया के साथ बुरा बर्ताव व अभद्र व्यवहार किया। अप्रार्थी ने प्रार्थिया से कहा कि 50,000/–रूपए चाहिए, वह दुकान लगायेगा। प्रार्थिया ने यह बात अपने पिता को नहीं बताई। प्रार्थिया के देवर ने प्रार्थिया के साथ गाली गलौच की। प्रार्थिया का देवर प्रार्थिया पर बुरी नजर रखता है, प्रार्थिया के कमरे में आ जाता है और प्रार्थिया का हाथ पकड़कर खींचता है। प्रार्थिया ने अपने पति अप्रार्थी व उसके माता–पिता को देवर की शिकायत की तो अप्रार्थी प्रार्थिया के साथ मारपीट करता। यह बात प्रार्थिया ने अपने माता–पिता को बताई। अप्रार्थी जब प्रार्थिया को लेने आया तो प्रार्थिया के माता–पिता ने अप्रार्थी को इन सारी बातों का हवाला दिया, तो अप्रार्थी ने कहा कि आयन्दा कोई शिकायत नहीं आयेगी। प्रार्थिया अप्रार्थी के साथ अपने ससुराल आ गई, परन्तु प्रार्थिया के ससुराल वालों पर कोई असर नहीं हुआ तथा प्रार्थिया को ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। प्रार्थिया का देवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। प्रार्थिया को अप्रार्थी, सास, ससुर व देवर द्वारा कुत्ती, रंडी कहा गया व मारपीट की गई। प्रार्थिया को पकड़कर घसीटते हुए ले गए, जिससे प्रार्थिया के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। अप्रार्थी व उसके परिवारजन ने एकराय होकर कहा कि अगर तुझे यहां रहना है तो पांच लाख रूपए लेकर आना, नहीं तो अबकी बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रार्थिया ने अपने माता–पिता को बुलाया और प्रार्थिया को अपने घर ले गए। प्रार्थिया अपने पिता के घर ग्राम मेहराना में निराश्रित जीवन यापन कर रही है। अप्रार्थी कारीगरी का कार्य करता है। अप्रार्थी के पिता के नाम 7 बीघा जमीन है। ट्रेक्टर, ट्रोली, मेटाडोर, दो मोटरसाइकिल है। नयागांव में पक्का मकान है जिसकी	

	कीमत एक करोड रूपए के लगभग है। अप्रार्थी कारीगरी के कार्य से 30,000/–रूपए प्रतिमाह कमाता है। कृषि भूमि से भी प्रतिवर्ष 2,10,000/–रूपए की आय होती है, इस प्रकार अप्रार्थी की वार्षिक आय 5,70,000/–रूपए है। जिससे अप्रार्थी प्रार्थिया का भरण पोषण करने में सक्षम है। उसे अपने भरण–पोषण के लिये 15,000/–रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता है। अतः उसे अप्रार्थी से 15,000/–रूपये प्रतिमाह अंतरिम भरण–पोषण दिलाया जावे। जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थिया का विवाह अप्रार्थी के साथ होना स्वीकार है। अप्रार्थी व उसके माता–पिता द्वारा प्रार्थिया से विवाह के समय एवं विवाह के बाद नगद किसी प्रकार की कोई राशि नहीं ली। अप्रार्थी व उसके परिवारजन द्वारा प्रार्थिया से कभी भी किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की गई। अप्रार्थी ने प्रार्थिया के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया। प्रार्थिया विवाह के कुछ समय पश्चात् ही अप्रार्थी व उसके परिवारजन के साथ गाली गलौच करने लगी और अप्रार्थी से अपने माता–पिता को छोड़कर स्वयं के माता–पिता के घर चलकर रहने को कहती। अप्रार्थी के छोटे भाई ने हमेशा प्रार्थिया को अपनी भाभी मां के समान माना है। प्रार्थिया स्वयं ही अप्रार्थी के साथ बिना उचित कारण के नहीं रहना चाहती है। प्रार्थिया अप्रार्थी व उसके परिवारजनों के विरूद्ध झूठे आरोप लगाकर अप्रार्थी व उसके परिवारजनों को नाजायत रूप से परेशान कर रही है। प्रार्थिया बिना किसी उचित कारण के अप्रार्थी को छोड़कर अपने पिता के घर रह रही है। अप्रार्थी ने प्रार्थिया को अपने से अलग नहीं रखा है। अप्रार्थी की आय का कोई स्थाई जरिया नहीं है। अप्रार्थी गांव में ही कभी कभार मजदूरी मिलने पर मजदूरी करता है तथा कच्चे घर में रहता है। अप्रार्थी प्रार्थिया को अपने साथ ले जाने एवं अपने साथ रखने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया अप्रार्थी से भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि प्रार्थिया द्वारा न्यायालय के समक्ष सशपथ प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी द्वारा उसे दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल देने के तथ्य प्रकट किये है। दोनों पक्षों के कथनों से व अभिवचनों से यह प्रकट है कि वर्तमान में प्रार्थिया अप्रार्थी से अलग रह रही है। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी का कारीगरी का कार्य करना दर्शित किया है। न्यायालय के विनम्र मत में न्यायालय को प्रार्थिया व अप्रार्थी के वैवाहिक स्थिति के संबंध में ध्यान देना है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया का विवाह अप्रार्थी से होना स्वीकृत स्थिति है और अप्रार्थी का प्रार्थिया का पति होते हुए यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह प्रार्थिया का भरण–पोषण करे। अप्रार्थी के	

	द्वारा खंडन किए गए तथ्य साक्ष्य से संबंधित है जिनके संबंध में न्यायालय इस स्तर पर निर्धारण नहीं कर सकता है। प्रार्थिया की ओर से शपथ पत्र भी पत्रावली पर पेश किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थिया द्वारा पेश अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह प्रत्येक माह प्रार्थिया के भरण पोषण के लिये 3,000/–रूपये (अक्षरे तीन हजार रूपये) प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने की दिनांक 24.09.2024 से अदा करेगा। अप्रार्थी अंतरिम भरण–पोषण के रूप में निर्धारित की गई राशि प्रार्थिया के द्वारा बैंक खाता विवरण उपलब्ध करवाए जाने पर उसके बैंक खाते में प्रतिमाह की पांच तारीख को जमा करवायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल पत्रावली रहे। **(डॉ. ऋचा चायल)** **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** **के.पाटन, जिला बून्दी**